MEDI-CAPS LIMITED

Regd. Office and works:
Mhow - Neemuch Road, Sector 1, CIN: L70100MP1983PLC002231
Pithampur - 454775, Dist. Dhar
Madhya Pradesh, India

Ph:- 07292-256205
Fax:- 0731-4041435
E mail:- **investors@medicaps.com**
Web site:- **www.medicaps.com**

MCL/AGM/SE/2021-2022 **Date: 4th September, 2021**

Online filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager,
DCS-CRD,
The BSE Ltd,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

BSE Scrip Code: 523144

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 {Submission of copy of the Newspaper Clippings for the Notice of 38th Annual General Meeting (AGM), Remote E- Voting and Book Closure}.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed public notice which has been published on 4th September,2021 in 'Free Press' (English Edition) and 'Choutha Sansar' (Vernacular Language-Hindi Edition) information about the:-

1. 38th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, 28th September, 2021 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").
2. Remote E-voting facilities offered to the shareholders and cut-off date.
3. Book Closure dates.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

For, MEDI-CAPS LIMITED.

MEDI-CAPS LIMITED ★ INDORE ★

AYUSHI SILOT
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER

***Encl.**: Clippings of English and Hindi Newspaper*

MP sees 18 Covid-19 cases; active tally now 101

BHOPAL: The COVID-19 tally in Madhya Pradesh reached 7,92,215 on Friday with the addition of 18 cases, while the day also saw the toll remaining unchanged at 10,516, an official said. The recovery count stands at 7,81,598, leaving the state with 101 active cases, he said. With 68,226 samples being examined during the day, the number of tests in MP went up to 1,67,92,936, the official added.

Pithampur Cong unit president resigns

Mhow (FPNS)

For a few days, there was a discussion in the Congress circles that Pithampur city Congress president Pintu Jaiswal was leaving Congress to join BJP due to which the district Congress president Balmukund Singh Gautum and Surendra Singh Neemkheda held a meet with Congress office-bearers and workers in their Pithampur office.

Congress senior leader Surendra Singh Neemkheda told the Pintu Jaiswal is leaving the post of the city president due to personal reasons and that he will continue to give his services to the party in any way possible to which some Congress workers raised objections saying that he should be banned from the party.

Dhar district Congress president Balmukund Singh Gautum said that the name of the new city president will be announced in a week, the names received for consideration for the new city president are Pappu H a t h o l i y a , Lakshminarayan Asoliya Gajendra Singh Pathariya. Gautum also said that Jaiswal has told him that he will continue to work as an ordinary worker of the party.

Pappu Jaiswal and many of his supporters kept their distance from the meet to which Gautum said that he has no idea why he wasn't there.

Sources in Congress that Jaiswal is going to join BJP soon. The groupism in the Pithampur Congress was clearly visible in this meet.

Raped handicapped woman dies during treatment

Mhow (FPNS): A 22-year old hearing-impaired and visually challenged woman who was allegedly raped by an unidentified accused in the Bargonda police station area died on Thursday. Police said that the victim was allegedly raped by an unidentified person after which she got pregnant. In July, she started getting stomach aches, and after examination, it was found that she was pregnant and a seven-month fetus had died in her womb. Police said that on Tuesday the woman had severe pain in her stomach and she died undergoing treatment on Thursday. Police have taken the complaint from the girl's family members who demanded a probe in the case.

Man arrested for duping people in name of chit fund company

OUR STAFF REPORTER
Indore

A man, who was on the run after duping people in the name of a chit fund company, was arrested from Dewas by the crime branch on Friday. The accused carried a reward Rs 10,000 for his arrested . The accused was handed over to Palasia police station staff for further investigation.

According to a crime branch official, a tip-off was received that a person named Amit Ratnagar, a resident of Dewas, is on the run for a few months in connection with a fraud case. After the information, the crime branch team managed to trace and arrest the accused.

The accused was on the run after a case of fraud was registered against him in Palasia police station a few months ago. He had duped a person in the name of a chit fund company. The police had raided many places in search of the accused but he could not be arrested at that time. Then, the police had announced Rs 10,000 reward for his arrest. The police are questioning the accused.

Three booked for duping people in name of doubling their money

Vijay Nagar police booked three men on Friday for duping people in the name of doubling their money in a short span. According to the police, a case was registered against Swatantra, Santosh and Yogesh on the complaint of Vinod Garbe of Goma Ki Phel area of the city. The complainant stated in his complaint that the accused used to run a cooperative society and they had taken Rs 5 lakh from him with the promise that they would double it within a short time. However, now they are not even returning the money.

Absconding from Bhopal, accused arrested in city

OUR STAFF REPORTER
Indore

Crime branch arrested a person, who was on the run, from the city on Friday. ASP (crime) Guru Prasad Parashar said they received information that a person who was involved in a robbery case in Bhopal and absconding had been spotted in Bhanwarkuan area. The crime branch team arrested him from there. He was waiting there to meet someone.

The accused was identified as Roshan Katanakar of Banganga area of the city. The police have also seized a car from him. The police came to know that the accused was involved in a robbery case in Misrod area in Bhopal. One of his accomplices was arrested by the Bhopal police while a search was on for the accused. Parashar said he was also accused of rape in Bhopal. He was handed over to the Bhopal police for further investigation.

Man arrested with 3 stolen two-wheelers

OUR STAFF REPORTER
Indore

A youth was arrested by the police with three stolen two-wheelers in Banganga area on Friday.

SI Rahul Kale from Bhagirathpura police post said that acting on a tip-off, a person named Rakesh Rathore, a resident of Gandhi Nagar area was detained. During the questioning, the accused allegedly confessed to stealing three two-wheelers from the area. Two bikes and a scooter were recovered from the accused and further investigations is on.

In another incident, crime branch arrested two persons with two stolen scooters on Thursday. Acting on a tip-off, two persons named Ravindra Singh and Manoj of Ujjain were arrested while they were waiting for customer to sell the stolen scooters. The value of recovered scooters is Rs 1 lakh. The accused were handed over to the concerned police station for further investigation.

Patient discharged within three days of heart surgery

Dr Manish Porwal's feat at CHL Hospital

OUR STAFF REPORTER
Indore

CHL Hospital senior surgeon Dr Manish Porwal has created a new record by discharging a patient within three days of performing heart surgery with a minimally invasive technique. The patient is completely healthy. Heart patients are usually kept in the hospital for a week or more after the operation. But with the minimally invasive technique, the patient can be sent home soon. Hospital chairman Dr Rajesh Bhargava said that 21-year-old Jay Patidar, a resident of Dhamnod, was suffering from shortness of breath. On heart examination, a congenital hole of 3.5 cm was found in the heart. On August 27, Dr Porwal successfully performed Jay Patidar's open-heart surgery with minimally invasive technique.

Manish Porwal said that after getting treatment with this technique, the patient can not only be discharged in 3 days and can start normal work in 1 to 2 weeks, whereas in normal technique, the patient can start normal work only after at least 2 months.

Dr Vijay Mahajan, Dr Rajesh Kukreja, Dr Piyush Gupta and Dr Raunak Maru were also involved in this operation.

Cong chooses wrong person to plan agitations: Sarang

BHOPAL: Bharatiya Janata Party on Friday ridiculed the Congress president's decision to nominate Rajya Sabha member Digvijaya Singh as the chairman of a nine-member committee constituted to plan agitations on national issues. Medical education minister Vishwas Sarang said, "Though nominating any person on any post is an internal matter of Congress, views of the person who is heading the committee on Pakistan and Hindutva are known to all." Sarang said Digvijaya Singh made fun of India in front of Pakistani journalists during the club house chat. It was Digvijaya Singh who floated the theory of saffron terrorism and tried to defame sanatan dharma. He is the same Digvijaya Singh who had said that Pulwama attack was just an accident. State BJP leader Rajneesh Agrawal said, "The state of affairs in Congress can be gauged from the fact that the leader who is responsible for the Congress's debacle in Madhya Pradesh and decimation of the Congress governments not once but twice is going to head an important committee of the party.

MC MEDI-CAPS LIMITED
CIN: L70100MP1983PLC002231
Regd. Office: Mhow-Neemuch Road, Sector I, Pithampur, Distt. Dhar (M.P.)- 454775
Phone: 07292-256205, Email: investors@medicaps.com, Web.: www.medicaps.com

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE CONVENED THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) AND OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

This is in continuation to our earlier communication dated 22nd August, 2021 whereby Members of the Company were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act) read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations] read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars), the Board of Directors decided to convene the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company on Tuesday, 28th September, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of 38th AGM. The said MCA & SEBI Circulars has granted relaxations to the Companies, with respect to printing and dispatching of physical copies of Annual report to Shareholders.

The Notice of 38th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2021 along with login details for joining the 38th AGM through VC/OAVM facility including e-voting has been sent on Thursday 2nd day of September, 2021 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants (DP) in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, and the same are also available on Company's website (www.medicaps.com), Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (www.evotingindia.com).

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations and other applicable rules framed there under that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday 22nd Day of September, 2021 to Tuesday 28th Day of September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 38th Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice of the 38th AGM electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under are as follows:-

1. The business may be transacted through voting by electronic means.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday 25th September, 2021 from 09.00 A.M.
3. Date and time of end of remote e-voting: Monday, 27th September, 2021 at 5.00 P.M.
4. Cut-Off Date: Tuesday 21st September, 2021.
5. Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday 21st September, 2021, may obtain the login ID and Password by following the procedure mentioned in the notice of 38th AGM.
6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, 27th September, 2021 the facility shall forthwith be blocked.
7. The facility for voting through electronic means shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting.
8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Tuesday 21st September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue.
10. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
11. The Notice of the 38th AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 is also available on the Company's website www.medicaps.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.
12. The shareholders may contact the company for any grievances connected with electronic voting.
Mr. Alok K Garg, Managing Director, MEDI-CAPS LIMITED, Registered Office: Mhow-Neemuch Road, Sector – 1, Pithampur 454775 Dist. Dhar (M.P.) Phone: 07292-256205 Email id- investors@medicaps.com

By order of the Board
For, MEDI-CAPS LIMITED
ALOK K GARG
MANAGING DIRECTOR
DIN : 00274321

Place : Indore
Date : 03.09.2021

ANIL PUB.

Smart city official inspects road widening project

OUR STAFF REPORTER
Indore

The Indore Smart City Development Limited's CEO Rishav Gupta on Friday inspected the work of removal of encroachments coming in the way of widening of road from Bada Ganpati to Krishnapura Chhatri, under Smart City Project. Most of the residents were removing the encroachments on their own.

CEO Gupta said, "We had requested the residents to remove the encroachments on their own and many of them have started doing it."

Gupta also instructed the officials to provide additional dumpers and trucks to the residents to load the debris of the demolished structures as the debris was choking sewerage lines in the area.

During the inspection, former MLA Sudarshan Gupta, former corporator Deepak Jain, superintendent engineer DR Lodhi and other officials were also present.

Central Bank offers loan to farmers from Sept 4 to 20

OUR STAFF REPORTER
Indore

Celebrating the Amrut Mahotsav on the completion of 75 years of independence, Kisan Samridhi Abhiyan is being run in Bhopal zone from September 4 to September 20, 2021 in all branches of Central Bank of India in honour of farmers of the country.

With the aim of making the farmers prosperous, all the branches of this campaign zone will organise a program at the branch level on different dates, in which various types of loan facilities will be made available to the farmers and new customers associated with the bank.

During this farmer-oriented campaign, various branches of Central Bank of India will also provide farmers with Kisan Credit Card, animal husbandry loan, loan for tractor, harvester and sprinkler and loan for other agricultural equipment etc.

This unique initiative for the progress of farmers is being done by the Central Bank of India by running a special campaign, especially in rural and semi-urban branches, where in addition to agricultural loans, home loans and vehicle loans will also be made available to farmers at cheap rates. Not only this, Kisan Credit Card will be issued again on the basis of increased scale of finance of farmers whose agricultural loan has become lapsed.

Under this, Krishak Samridhi Abhiyan is being launched in Indore region in Dhar. In which Krishak Samridhi Camp has been organised for disbursement of loans to the listed farmers of Dhar and nearby branches as per their requirement. In which agricultural loans will be distributed to the farmers according to their eligibility.

Senior regional manager Sampathkumaran informed that under the guidance of field general manager SD Mahurkar, mega loan disbursement camps will be organised in all bank branches of Dhar, Ujjain, Dewas, Khandwa, Khargone, Barwani districts for the respect and financial cooperation of the farmers.

Tribal's killer is a BJP man, claims Congress fact-finding team

Party to hand over report to DGP

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

A fact finding team of Congress to look into brutal killing of a tribal man in Neemuch district has concluded that the alleged killer Mahendra Gurjar is a BJP worker. Congress has demanded compensation of Rs 1 crore and job to one of the family members.

"We talked to the villagers and we were told that Mahendra's wife is a sarpanch of that village and that they are all BJP workers. They committed the crime to retain their dominance," said Congress MLA and head of the investigating team, Kantilal Bhuria, on Friday.

Police played a biased role in investigation. The police reached tribal Kanhaiya's house after a complaint was lodged. This demonstrates that the police was hand-in-glove with the murder accused, added Bhuria.

"Family members of Gurjar have been holding sarpanch's post for past 20 years. At present, accused Mahendra's wife is sarpanch of that village," said another member of the team, Harsh Gahlot.

"We have demanded a compensation of Rs 1 crore for the family besides a house for them and a government job for one of the family members," said Gahlot.

Upadhyay made office suptd

FP NEWS SERVICE
Dewas

On the instructions of Municipal Corporation commissioner Vishal Singh Chouhan, Ashok Upadhyay assistant grade-II was appointed by the Corporation additional commissioner RP Srivastava on the post of office superintendent in charge of the corporation. Upadhyay was welcomed in the corporation office by the corporation employees including in-charge assistant commissioner Turab Khan Pathan, former office superintendent Rajkumari Sharma, corporation health officer RS Kelkar and others.

Bhoomi pujan of one stop centre

FP NEWS SERVICE
Dewas

MLA Gayatri Raje Puar performed bhoomi pujan of One Stop Centre in the district hospital premises on Friday. The centre will be constructed in the district hospital premises at a cost of Rs 48 lakh. District panchayat president Narendra Singh Rajput, Rajeev Khandewalwal and other public representatives, Women and Child Development Officer Railam Baghel Anganwadi workers were present during the bhoomi pujan.

MLA Puar inspected the ongoing One Stop Centre. During the inspection, she took information about the Centre from the Women and Child Development officer. He also gave necessary instructions to the Women and Child Development Officer regarding the centre. Matru Vandana Saptaha is being organised by the Department of Women and Child Development in the district from September 1 to 7. This year the theme of nutrition month is 'Leaving malnutrition towards nutrition - the door of regional food'.

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK
Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the loan account became NPA therefore the Authorized officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the Borrowers/Co-borrowers/Mortgagers/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore you the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the mortgage properties/secured assets as given below.
Borrowers to note that after receipt of this notice, in terms of Section 13(13) of the Act, 2002, you are prohibited and restrained from transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor.
Borrowers attention are attracted towards Section 13(8) r/w Rule 3(5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Act that the borrowers shall be entitled to redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist.

Name of the Borrower/ Co-Borrower / Mortgagor / Guarantor / Loan A/c No.	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged Property
(Loan A/c No.) L9001060122748322, Jamanalal (Borrower) Prakash S/o Kaniram (Co-Borrower) Huraji Bai Bavari (Co-Borrower)	16-Aug-21 ₹ 4,22,935/- Rs. Four Lac Twenty-Two Thousand Nine Hundred Thirty-Five only as on 16-Aug-21	Property Situated At Gram Panchayat Phn 10 Wn 03 Hn 127 00 Vill Jaliner Tehsil Manasa Neemuch Manasa, MP. **Admeasuring 376 Sqyds**
(Loan A/c No.) L9001070117404268, Bheemsen (Borrower) Saroj Gandharv (Co-Borrower) Mahendra Gandharv (Co-Borrower)	16-Aug-21 ₹ 7,50,925/- Rs. Seven Lac Fifty Thousand Nine Hundred Twenty-Five only as on 16-Aug-21	Property Situated At Nagar Palika Plot No. Lig-85, Ward No. 39, Rishiyanand Nagar Mandsaur, MP. **Admeasuring 774.72 SqFt**
(Loan A/c No.) L9001060116681434, Praveen Kumar Mandwariya (Borrower), Chandu Prasad Mmandwariya (Co-Borrower), Shivkanya Mandwariya (Co-Borrower), Dinesh So Kailashchandr (Guarantor)	19-Aug-21 ₹6,25,061/- Rs. Six Lac Twenty-Five Thousand Sixty-One only as on 19-Aug-21	Property Situated At Municipal Corporation Wn 08 Lalbaug Road Rampura Neemuch Manasa, MP. **Admeasuring 75 Sqyds**
(Loan A/c No.) L9001060100405505, Arjun Singh Panwar (Borrower), Balu Singh Panwar (Co-Borrower), Ramkunwar Bai Panwar (Co-Borrower), Radheshyam Panwar (Guarantor)	19-Aug-21 ₹1,75,681/- Rs. One Lac Seventy-Five Thousand Six Hundred Eighty-One only as on 19-Aug-21	Property Situated At Ward No.08, Phn-72,Gram-Kundala, Teh-Manasa Dist-Neemuch MP. **Admeasuring 1500 Sq Yd**
(Loan A/c No.) L9001060100428765, Ramprasad Nagda (Borrower), Guddi Bai Nagda (Co-Borrower), Mangal Kumar Totla (Guarantor)	25-Aug-21 ₹2,15,667/- Rs. Two Lac Fifteen Thousand Six Hundred Sixty-Seven only as on 25-Aug-21	Property Situated At Ward No 18 Phn 19 Vill. Morka, Tehsil Jawad Dist Neemuch MP. **Admeasuring 2160 Sq Yd**
(Loan A/c No.) L9001060115500866, Suresh Meena (Borrower), Maya Meena (Co-Borrower), Hukmi Chand Meena (Co-Borrower), Mohan Lal Meena (Co-Borrower), Dinesh (Guarantor)	25-Aug-21 ₹3,32,963/- Rs. Three Lac Thirty-Two Thousand Nine Hundred Sixty-Three only as on 25-Aug-21	Property Situated At Gram Panchayat 43 Phn 01 Ward N 11 Neemuch MP.**Admeasuring 358 Sqyds**
(Loan A/c No.) L9001060116345822, Kayyum Khan (Borrower), Kalim Kha (Co-Borrower), Manjo Bi (Co-Borrower), Phayyum Khan (Co-Borrower), Muzaffar Khan (Guarantor)	19-Aug-21 ₹3,86,289/- Rs. Three Lac Eighty-Six Thousand Two Hundred Eighty-Nine only as on 19-Aug-21	Property Situated At Freehold - Within Municipal Limit Plot No.44 Guide Line Ward No. 16, Karmcari Grah Nirman Socity Co Mandsaur, MP. **Admeasuring 66 Sqyds**
(Loan A/c No.) L9001070116678732, Bharat Singh Chandrawat (Borrower), Jitendra Singh Chandrawat (Co-Borrower), Rajkunwar Chandrawat (Co-Borrower)	25-Aug-21 ₹34,88,332/- Rs. Thirty-Four Lac Eighty-Eight Thousand Three Hundred Thirty-Two only as on 24-Aug-21	Property Situated At Freehold - Within Municipal Limit A-3 & A-4 A-3 & A-4 Mahadev Vihar Colony Mandsaur, MP. **Admeasuring 2170.77 SqFt**

Date : 03/09/2021
Place : Neemuch / Mandsaur

Authorised Officer
AU Small Finance Bank Limited

एक नजर

चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला पकड़ाया

इंदौर। क्राइम ब्रांच की टीम ने धोखाधड़ी के मामले में फरार एक ऐसे बदमाश को पकड़ा है जिसकी 4 साल से पलासिया पुलिस को तलाश थी। उसके ऊपर 10000 का इनाम भी घोषित था बदमाश चिटफंड के नाम पर लोगों को ठग कर भागा था वह देवास में रहकर फरारी काट रहा था। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम अमित रत्नाकर पिता नंदन रत्नाकर निवासी एमआईजी तालुजा बिहार देवास है। साल 2017 में उसके खिलाफ पलासिया पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था लोगों को चिटफंड के नाम पर उसने ठगा था तभी से आरोपी की तलाश की जा रही थी वह पुलिस के हत्थे नहीं आ रहा था पुलिस ने उस पर 10000 का इनाम भी घोषित किया था क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली कि वह देवास में ही है जिसके बाद वहां दबिश दी गई और उसे पकड़ा गया है।

सड़क हादसे में मासूम की मौत

इंदौर। पीथमपुर में 3 साल की बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी थी। बच्ची को बाइक सवार घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था जैसे ही उसे पता लगा कि बच्ची की मौत हो गई है तो वह वहां से भाग निकला। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका का नाम इशिका पिता रंगलाल निवासी पीथमपुर है। बगदून इलाके में 3 साल की इसीका अपने परिजनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं कल घर के बाहर ही एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। बच्ची को घायल हालत में वही बाइक सवार अस्पताल भी लेकर गया ,लेकिन जैसे ही वहां उसे पता लगा कि बच्ची की मौत हो गई है तो वह वहां से भाग निकला पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

छोटे भाई और बहू ने बचाई जान

इंदौर। नेहरू नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने कल फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। छोटे भाई की पत्नी खाना देने गई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। तब महिला ने अपने पति को बुलाया दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और उसे फंदे से उतारा। बताया जा रहा है पत्नी से विवाद के बाद उसने यह कदम उठाया है। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र नेहरू नगर का हे। खुदकुशी की कोशिश करने वाले व्यक्ति का नाम प्रदीप पिता करण सिंह है। दरअसल प्रदीप का कल उसकी पत्नी से विवाद हो गया था।

पटरी पर लेटी नाबालिग को पुलिस ने बचाया

इंदौर। राउ पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की जान बचाई है। वह रेलवे पटरी पर खुदकुशी के लिए लेटी हुई थी। पुलिस को खबर मिली तो राउ पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को उसके परिवार वालों को सौंपा। राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी के अनुसार राउ एफ आर वी में पदस्थ आरक्षक राजू रावत और पायलट राहुल को सूचना मिली थी कि राउ रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज के नीचे पटरी पर एक लड़की लेटी हुई है जो खुदकुशी करने पहुंची है। सूचना मिलते ही तुरंत एफ आर वी गाड़ी महिला आरक्षक सीमा परमार और मुलायम को लेकर मौके पर पहुंचे वह लड़की पटरी पर ही लेटी हुई थी। जिसे महिला आरक्षक सीमा ने पटरी से हटाया उसने अपना नाम शिखा (परिवर्तित नाम) निवासी पीथमपुर जिला धार बताया।

भोपाल में लूट करने वाला फरारी काटने पहुंचा था इंदौर

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भोपाल से फरार एक आरोपी को लूट की कार के साथ गिरफ्तार किया है। भोपाल मिसरोद पुलिस को आरोपी के लंबे समय से तलाश थी। आरोपी के खिलाफ भोपाल के ही पिपलानी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का भी मामला दर्ज हुआ है।

एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच गुरु पाराशर ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात बदमाश भोपाल से फरारी काटने इंदौर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी रोशन पिता शंकरलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी कुशवाह नगर को भवर कुआं इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके पास जो कार मिली वह उसने एक साथी के साथ मिलकर भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र से लूटी थी। वह भोपाल के पिपलानी थाने में बलात्कार के आरोप में फरार था।

पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जप्त हुई है। उसकी भी जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी रोशन ने गाड़ी से कई वारदातों को अंजाम दिया होगा लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वही भोपाल पुलिस से यह जानकारी भी निकाली जा रही है कि आरोपी से कितने अपराध है और वह कितने संगीन मामलों में भोपाल से फरार है।

सजा के बदले दिया इनाम

4 दिन के अंदर ही आरोपी के भागने पर अटैच पुलिसकर्मी बहाल

इंदौर। इंदौर के बाणगंगा में संदिग्ध चेन लुटेरा भाग गया था। मामले में एसपी ने हेड कांस्टेबल, संतरी और दो पुलिसकर्मियों को अगले दिन अपने यहां अटैच किया था। पूरे मामले के तीन दिन बाद ही पुलिसकर्मियों की एसपी ने बड़े थाने में पोस्टिंग कर दी। मामले में डीआईजी ने ऐसी जानकारी होने से इनकार किया है।

जानकारी के अनुसार लक्की नाम के चेन लुटेरे को बाणगंगा थाने में पूछताछ के लिए बैठाया था। तीन दिन तक उससे पूछताछ की, लेकिन 29 अगस्त की सुबह वह हेड कांस्टेबल विजेन्द्र परिहार,संतरी प्रमोद जादौन,सिपाही अंकित रघुवंशी और अन्य पुलिसकर्मी गुप्ता को चकमा देकर भाग गया था। सूचना फैलने के चलते एसपी आशुतोष बागरी ने चारों को 30 अगस्त को लापरवाही बरतने के मामले में अपने आफिस पर अटैच किया था। इस मामले में गुरुवार एसपी ने फिर एक आदेश निकाला और सभी की पोस्टिंग लसूड़िया थाने पर कर दी। सजा देने के बजाय उन्हें शहर के सबसे अच्छे थाने पर भेजा गया है। इस पोस्टिंग के पीछे लसूड़िया टीआई का नाम सामने आ रहा है, जबकि अभी तक थाना से फरार लक्की अभी तक पुलिस के हाथ लगा ही नहीं है।

बीजेपी नेता को धक्का देने वाले एसआई को भी इनाम

ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा के समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू को धक्का देने वाले एसआई माधवसिंह भदौरिया की पोस्टिंग भी एसपी ने कनाड़िया थाने की है। नेता को धक्का देने के मामले में उन्हें पलासिया थाने से सस्पेंड किया गया था। उनका आदेश भी गुरुवार रात जारी किया गया।

सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों पर कार्रवाई शुरू

अब तक छह लाख रुपये से अधिक की चालानी कार्रवाई हो चुकी

इंदौर। यातायात पुलिस विभाग ने ट्रैफिक में नंबर वन बनाने के लिए यातायात विभाग अब पहले से ज्यादा सख्ती करेगा। यदि बेतरतीब वाहन खड़े दिखे तो गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। विभाग मुख्य रूप से उन स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है, जहां पार्किंग के लिए अलग से जगह है। इसके बावजूद भी लोग सर्विस लाइन या सड़कों पर ही वाहन खड़े करके चले जाते हैं। दो पहिया व चार पहिया सभी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। शुक्रवार को भी पलासिया, विजय नगर, तुकोगंज व अन्य क्षेत्रों में माल व रेस्टोरेंटों के सामने खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से जब्त किया गया। अब तक छह लाख रुपये से अधिक की चालानी कार्रवाई हो चुकी है।

ट्रैफिक डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि लोग सी-21 मॉल, मल्हार माल, ऑर्बिट मॉल, मंगल सिटी व टीआई माल में पार्किंग व्यवस्था है। इसके बावजूद भी लोग सर्विस लाइन और सड़क पर वाहन खड़ा करके चले जाते हैं। इससे ट्रैफिक अवरुद्ध होता है और लोगों को परेशानी होती है। इसके चलते विभाग ने लगातार कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

चार क्रेनों के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक पांच लाख रुपये जुमार्ना भी वसूला जा चुका है। साथ ही अब तक एक जगह एक दिन कार्रवाई होने के बाद लोग फिर से वहां गाड़ियां खड़ी करने लगते थे, अब ऐसा नहीं होगा। जहां कार्रवाई की जा रही है, वहां लगातार तब तक कार्रवाई चलती रहेगी, जब तक लोग खुद बेतरतीब गाड़ियां खड़ी करना बंद नहीं करते हैं।

हेड साहब की संदिग्ध मौत

इंदौर। खुडैल इलाके में एक पुलिस कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह डीआरपी लाइन में पदस्थ थे। खुडैल इलाके में बैंक ड्यूटी कर रहे थे। अपने सरकारी क्वार्टर पर ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचेत होकर गिर पड़े। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खुडैल पुलिस के अनुसार मृतक का नाम मड़िया पिता रूपल सिंह है। वह डीआरपी लाइन में पदस्थ थे। खुडैल में वह पुलिस के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। उनकी ड्यूटी बैंक में लगी थी बीती रात वहां ड्यूटी की तैयारी कर रहे थे। तभी अचेत होकर गिर गए उनके परिचित राकेश उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस अफसर के घर में घुसा चोर, रंगे हाथ धराया

इंदौर। शहर में पदस्थ एक आला पुलिस अधिकारी के घर में बीती रात एक बदमाश घुस गया। उसने अधिकारी की कार और एक्टिवा के लॉक तोड़ दिए थे। बदमाश गाड़ी ले जाता उसके पहले ही रंगे हाथों धरा गया। संयोगितागंज थाने में फरियादी सुनील कुमार जैन निवासी सीआरपी लाइन पुलिस क्वार्टर की शिकायत पर आरोपी रोमित टग्गर पिता रोमनी निवासी सनी अपार्टमेंट बंगाली मेनी स्क्वायर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

चोरी के वाहन के साथ धराए दो बदमाश

इंदौर। क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी के मामले में दो युवकों को पकड़ा है। दोनों के पास से एक्टिवा गाड़ियां मिली है। दोनों गाड़ियां चोरी की है। जिन्हें वह सस्ते दामों पर बेचने की फिराक में थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रविंद्र सिंह निवासी चंद्रशेखर मार्ग नागदा और मनोज पिता कन्हैयालाल निवासी 56 ब्लॉक जटिया गली नागदा को पकड़ा है। दरअसल क्राइम ब्रांच के जवानों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों युवक सस्ते दामों पर मोटरसाइकिल बेच रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने उन्हें झांसे में लिया उनके पास से दो एक्टिवा जब्त हुई है। दोनों ही गाड़ियां विजयनगर और एमआईजी से चोरी हुई थी आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

प्लॉट के नाम पर कारोबारी से ठगी

इंदौर। द्वारकापुरी पुलिस ने एक कारोबारी की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने प्लॉट के फर्जी कागज बनाकर 900000 में बेचने की कोशिश की। साडे 600000 ले भी लिए। बाद में ना तो पैसे लौटाए नहीं प्लॉट दिलवाया। द्वारकापुरी पुलिस के अनुसार फरियादी महेश राठी निवासी महात्मा गांधी मार्ग की शिकायत पर आरोपी हुसैन अली और मोहम्मद हुसैन उर्फ मम्मी दोनों निवासी मल्हार पलटन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है आरोपियों ने विदुर नगर का एक प्लॉट महेश राठी को बेचने के लिए सौदा किया था।

वैक्सीनेशन में सेवा देने वाले नर्सिंग छात्रों को नहीं मिला पेमेंट

इंदौर। देशव्यापी वैक्सीनेशन महाभियान में इंदौर ने देशभर में अपना परचम लहरा दिया लेकिन दूसरी ओर महाभियान में जिन नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं की ड्यूटी लगाई गई थी, उनका कई माह का पेमेंट अभी भी अटका है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने 21 जून से शुरू हुए वैक्सीनेशन महाभियान 2.0 में ड्यूटी की थी लेकिन उनमें से अधिकांश को नहीं मिला। जिन्हें मिला उन्हें भी पूरा नहीं मिला जिसे लेकर उनमें काफी रोष है।

दरअसल, इस महाभियान में कुछ महीने पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदौर नर्सिंग कॉलेज, अरबिंदो, इंडेक्स सहित कई नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की ड्यूटी लगाई गई थी। तय नियमों के तहत इन्हें हर दिन 500 रु. वैक्सीनेशन के तथा 200 रु. टीए, डीए के इस तरह 700 रु. प्रतिदिन देना तय हुआ था। इसके साथ ही इन्हें संबंधित जोन द्वारा चाय, नाश्ता, लंच व आने-जाने की सुविधा का वादा किया गया था। इसके चलते पीसी सेठी, नंदा नगर, बाणगंगा सरकारी अस्पताल, मांगीलाल चूरिया अस्पताल सहित कई जोनों द्वारा इन्हें सेंटरों पर रखा गया। इस दौरान इन लोगों ने 12-12 घंटे की ड्यूटी दी। इसमें कुछ समय तो पेमेंट मिला लेकिन अब ऐसे करीब 200 से ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं जिनके हजारों रुपयों का पेमेंट अब तक नहीं मिला है।

पीड़ित छात्र-छात्राएं जोन प्रभारियों व संबंधितों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन फिलहाल बजट नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है। कई पीड़ित सीएमएचओ ऑफिस भी गए लेकिन वहां भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

अष्ट धातु की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेचू ऑफ प्युरिटी निर्माण होगा

अहिंसा रथ इंदौर आया, अब विभिन्न जैन मंदिर में पहुँचेगा

इंदौर। कोरोना काल में आज हमारा सौभाग्य है की हम बचे हुए है और हमारे सामने ऐसी प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा है, जो हजारों सालों तक जैन धर्म की प्रभावना करेगी। इसलिए हमें अब अपने दान धर्म करना चाहिए।

ये बात आज जैन कालोनी में विराजित आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज ने प्रवचन में कही। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित अष्टापद तीर्थ क्षेत्र में 151 फिट ऊँची भगवान श्री मुनिसुव्रतनाथ जी की स्टेचू ऑफ प्युरिटी प्रतिमा का निर्माण होना है। इस प्रतिमा का निर्माण 35 हजार टन अष्ट धातु से होगा। इसलिए देशभर से अष्ट धातु को एकत्रित करने का सिलसिला चल रहा है। इंदौर के संयोजक राहुल सेठी, राजेश जैन दद्दु और टीके वेद ने बताया की शुक्रवार को आचार्य श्री के सानिध्य में रथ का शुभारम्भ हुआ। आचार्य श्री ने इस अवसर पर विशेष प्रवचन दिए और कहा की यही समय है उचित स्थान पर दान देने का, जीवन में अब कुछ ना कर पाए तो सोचते रह जाओगे। जो दान देना है वो दान दे देना चाहिए। क्या पता कल हो ना हो। लेकिन दान दोगे तो कल जो होगा वो भगवान का पल होगा। क्या पता तुम्हारा सोना या चाँदी भगवान की पलक बन जाए। वर्तमान में जिस तरह दक्षिण भारत की शान गोम्मटेश बाहुबली भगवान है, उसी तरह अब उत्तर भारत की शान मुनिसुव्रतनाथ भगवान की ये प्रतिमा होगी। महिला प्रकोष्ठ की मार्गदर्शक कल्पना सुनिल जैन, कोषाध्यक्ष मीनल राकेश पाटनी ने बताया कि इस प्रतिमा के प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी धर्मचंद शास्त्री जी है। उक्त प्रतिमा का नाम स्टेचू ऑफ प्युरिटी रखा गया है। अब ये अहिंसा रथ शहर की विभिन्न कालोनियों में स्थित दिगम्बर जैन मंदिर में ले जाया जाएगा। वहा पर समाजजन द्वार रथ में स्थित प्रतिमा की परिकल्पना के दर्शन किए जाएँगे। इसके साथ ही प्रतिमा निर्माण के लिए अष्ट धातु को दान भी किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रुचि गोधा और युवा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शक सुयोग जैन ने बताया की प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 12 बजे तक रथ मंदिर के बाहर दर्शन के लिए खड़ा किया जाएगा। फिर यहा से रविवार को रथ मल्हारगंज के सभी मंदिर के साथ इतवारिया बाजार काच मंदिर प्रांगण में खड़ा किया जाएगा। इसी तरह फिर ही दिन अलग-अलग मंदिर क्षेत्र में रथ दर्शन के लिए पहुँचेगा। आज शुभारम्भ में प्रमुख रूप से अदिति जैन, सलोनी जैन, कल्पना जैन, यश जैन, राजीव जैन, राहुल जैन, सुधीर जैन, इंद्रकुमार सेठी, कैलाश लुहाड़िया सहित अन्य समाजजन उपस्थित थे।

गाड़ी से बैग चोरी करने वाले बदमाश तीन घंटे में पकड़ाए

आरोपियों से 1,14,000 रुपए व प्रापर्टी के दस्तावेज आदि जब्त

इंदौर। एक प्रॉपर्टी कारोबारी को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। उसकी कार से सवा लाख रुपए चोरी हो गए पुलिस ने उन लड़कों को हिरासत में लिया है जिन्हें लिफ्ट दी गई थी। फरियादी विकास परमार व्दारा थाना आकर अपने वाहन में रखे गये बैग तथा उसके अंदर रखे गये रुपए व स्वंय के व्दारा खरीदी गई प्रापर्टी के स्टाम्प एग्रीमेन्ट के चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। टीम गठित कर स्वंय के व्दारा संदिग्धो की धरपकड की गई। जिनसे हिकमतअमली पूछताछ करने पर आरोपियान जीतू चौहान उम्र 20 साल निवासी अनुराधा नगर इन्दौर व गोपाल चौहान उम्र 18 साल नि अनुराधा नगर इन्दौर व्दारा फरियादी विकास परमार को चकमा देकर उसके वाहन में रखे बैग मय मश्रुका के चुरा लिया था। जिसमें से कुछ राशि खर्च करना व शेष मश्रुका जीतू के घर पर होना बताया। जो आरोपियानों के मेमोरेण्डम पर घर पर दबिश देने पर 1,14,000 / - रुपए व प्रापर्टी के स्टाम्प पेपर आदि जप्त किया गया।

उक्त मामले में फरियादी व्दारा सूचना करने के 03 घंटो के भीतर आरोपियानो को गिरफ्तार कर चोरी की गई मश्रुका जप्त की गई। आरोपियानों से थाना क्षेत्र एंव अन्य थाना क्षेत्रो में चोरी के मामलो में पूछताछ की जा रही हैं।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे द्वारा अपने पुत्र शेख इरफान पिता शेख रऊफ एवं पुत्रवधु फरीन नाज पति शेख इरफान, दोनों निवासी कोयला बाखल, मस्जिद का मकान ग्वाडी, इंदौर को चल-अचल संपत्ति से विगत 02 माह से पृथक कर दिया गया है। मेरे उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधु से मेरा व मेरे परिवार से किसी प्रकार का सम्बन्ध या लेना देना, मेल मिलाप नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे उपरोक्त पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा किये गये किसी भी कार्य, कृत्य एवं व्यवहार आदि के संबंध में मैं व मेरा परिवार जवाबदार नहीं है। सबब कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय मेरे पुत्र व पुत्रवधु से किसी प्रकार का व्यवहार न करे, अन्यथा की दशा में व्यवहारकर्ता ऐसे व्यवहार के लिये स्वयं जवाबदार होगा। सो सूचित होवे।

भवदीय
शेख रऊफ पिता शेख गफूर
निवासी-24 कबूतरखाना, इंदौर

तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड
CIN: L15321MP1985PLC003181
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, श्रीराम चैंबर, 12, अग्रवाल नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन : 0731-2405001, 02 ई-मेल : tirupati@tirupatistarch.com
वेब पोर्टल : www.tirupatistarch.com

35वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों की **35वीं वार्षिक साधारण सभा ('ए.जी.एम.') सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को दोपहर 3.00 बजे** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, 'श्रीराम चैंबर', 12, अग्रवाल नगर, इंदौर (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, फिजिकली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-वीडियो मीन्स के द्वारा, जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा। 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की अंकेक्षित लेखाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट ऐसे शेयरधारकों को ईमेल आईडी पर भेजी गयी है, जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत है तथा साथ ही उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.tirupatistarch.com** पर भी प्रकाशित है।
एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के संदर्भ में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण सहित 35वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 का नोटिस 03 सितम्बर, 2021 को ईमेल के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है, जिनके सदस्य ईमेल पता कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/ अपडेट किये गए हैं। कंपनी की वेबसाइट **www.tirupatistarch.com** पर 35वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना भी उपलब्ध है, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर और ए.जी.एम. नोटिस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। एजीएम नोटिस केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (कंपनी की ई-वोटिंग एजेंसी) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के रेग्युलेशन 42 के अनुसार, एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें **मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 से सोमवार, 27 सितम्बर, 2021** (दोनों दिवस शामिल) तक, 35वीं वार्षिक साधारण सभा करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
कंपनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के रेग्युलेशन 44 के अनुसार इस कंपनी ने सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराई है।
टिप्पणी:
क) व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा ;
ख) दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय: **शुक्रवार, 24, सितम्बर 2021, प्रात: 9 बजे से ;**
ग) दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय: **रविवार, 26, सितम्बर 2021 सायं 5 बजे तक ;**
घ) निर्णायक तारीख: **सोमवार, 20 सितम्बर, 2021**
ड) यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा निर्णायक तिथि अर्थात **सोमवार, 20 सितम्बर, 2021** को शेयर धारित करते हैं; यदि उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास उसका पैन अपडेट है, तो उन्हें ए.जी.एम. की सूचना में दी गयी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। लेकिन, ऐसे सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया हो, उनका लॉगिन आईडी तथा सिक्वेंस नं. पासवर्ड निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा भौतिक पद्धति से अलग से भेजा जायेगा। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सी.डी.एस.एल. के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
च) सदस्य कृपया ध्यान रखें।
1) **रविवार, 26, सितम्बर 2021** सायं 5 बजे के बाद ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हो, वे मतदान पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
3) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4) सदस्यों कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के मतदान के अधिकार रिकॉर्ड तारीख **सोमवार, 20 सितम्बर, 2021** रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अथवा डिपॉजिटरीज़ के लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में पंजीकृत शेयरों की पेड-अप मूल्य पर माने जायेंगे।
5) जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपॉजिटरीज़ द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
6) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइडर: सेंट्रल डिपॉजिटरीज़ सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड **https://www.evotingindia.com.**
7) कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाइट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है: **www.tirupatistarch.com** तथा **www.evotingindia.com.**
8) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पद का नाम, पता, ईमेल आईडी तथा फ़ोन नंबर:
सलोनी नायडू (कंपनी सचिव)
प्रथम तल, 'श्रीराम चैंबर', 12, अग्रवाल नगर, इंदौर-452001 (म.प्र.)
फोन : 0731-2405001, 02
ई-मेल : tirupati@tirupatistarch.com

दिनांक : 03.09.2021
स्थान : इंदौर

बोर्ड के आदेश से
तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड
अमित मोदी
प्रबंध निदेशक

मेडीकैप्स लिमिटेड
CIN: L70100MP1983PLC002231
पंजीकृत कार्यालय : महू-नीमच रोड, सेक्टर 1, पीथमपुर, जिला धार म.प्र. 454775
फोन : 07292-256205, ई-मेल : investors@medicaps.com, वेब पोर्टल : www.medicaps.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पुस्तक बंद तथा ई-वोटिंग जानकारी की सदस्यों को सूचना

यह हमारे द्वारा पहले दिनांक 22 अगस्त, 2021 के संचार में, जिसके अंतर्गत मेडीकैप्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को सूचित किया था की कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 5 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20/2020 और दिनांक 13 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र संख्या 02/2021 (एमसीए परिपत्र) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और दिनांक 15 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (सेबी परिपत्र) ने सदस्यों की 38वी आम बैठक (एजीएम) को मंगलवार 28 सितम्बर, 2021 को सुबह 11 बजे (आई.एस.टी), आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्तिथि के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विसुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा द्वारा 38वी एजीएम सुचना में दिए गए व्यवसायों को लेन-देन करने का निश्चय किया है। उक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों ने शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों की छपाई और प्रेषण के संबंध में कंपनियों को छूट प्रदान की है।
एमसीए परिपत्रो तथा सेबी परिपत्रो के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते, कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या सम्बंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत है, उन्हें ई-वोटिंग के साथ वीसी/ओवीएम सुविधा द्वारा 38वी एजीएम, मे शामिल होने के लिए लॉग इन विवरण के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 38वी एजीएम की सुचना गुरुवार 2 सितम्बर, 2021 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गयी है। ये सब कंपनी की वेबसाइट (www.medicaps.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा सेंट्रल डिपॉज़िटरिस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (www.evotingindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एवं डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेशन 42 के अनुसार एतद द्वारा यह भी सूचित किया जाता है, कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार 22 सितम्बर 2021 से मंगलवार 28 सितम्बर 2021 (दोनों दिवस शामिल) तक, 38वी वार्षिक साधारण सभा करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
कंपनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 तथा सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के रेगुलेशन 44 के अनुसार इस कंपनी ने 38वी एजीएम सुचना में दिए संकल्पो पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं: -
1. ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जायेगा;
2. दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय : शनिवार 25 सितम्बर 2021 प्रातः 9 बजे से;
3. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय: सोमवार 27 सितम्बर 2021 सांय 5 बजे तक ;
4. निर्णायक तिथि: मंगलवार 21 सितम्बर 2021;
5. यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित करते है तथा कंपनी का सदस्य बनते है तथा निर्णायक तिथि अर्थात मंगलवार 21 सितम्बर 2021 को शेयर धारित करते है; उस परिस्थिति में वह 38वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
6. सोमवार 27 सितम्बर 2021 को सांय 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई-मतदान सुविधा शाम 5.00 बजे के बाद तत्काल बंद कर दी जाएगी।
7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वही सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे
8. कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते है, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ वार्षिक साधारण सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
10. सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद उसमे बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायगी।
11. 38वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.medicaps.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
12. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए शेयरधारक कंपनी से संपर्क कर सकते हैं :
आलोक के गर्ग, मेडीकैप्स लिमिटेड, महू-नीमच रोड, सेक्टर 1 पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) 454775
फोन : 07292-256205, ईमेल : investors@medicaps.com

दिनांक : **03 सितम्बर 2021**
स्थान : **इन्दौर**

बोर्ड के आदेश से, मेडीकैप्स लिमिटेड
आलोक के गर्ग
मैनेजिंग डायरेक्टर
DIN : 00274321

ANIL PUB.